Flight from Ahmedabad for Haj Pilgrims of Gujarat

478. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether there is a demand to start direct chartered flight from Ahmedabad International Airport for Haj Pilgrims of Gujarat;

(b) whether it is a fact that a large number of Pilgrims go to Saudi Arabia for Haj by air from Gujarat and poor pilgrims particularly face considerable hardhsips as they are required to travel first to Bombay where they have to wait for charter flight;

(c) whether Ahmedabad was selected to cover operation of Haj Charters; and

(d) if so, by when Government are likely to meet the demand?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) to (d). A sizeable number of pilgrims from Gujarat perform Haj pilgrimage every year. There is demand for direct Haj flight not only from Ahmedabad but also from place like Srinagar, Bhopal, Calicut, Hyderabad etc. However, due to operational constraints, it has not been possible to introduce direct Haj flights from places other than Delhi, Calcutta, Bombay and Madras.

पूर्व सोवियत संघ के देशों से आने वाले पर्यटक

479. श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व सोवियत संघ से विभक्त हुए देशों से भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष, 1993 के दौरान इन देशों से भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी-कितनी थी;

(ग) क्या यह सच है कि क्या केवल उजबेकिस्तान से आने वाले पर्यटकों की संख्या में ही यह वृद्धि देखी गई है; और

(घ) सोवियत संघ से अलग हुए सभी देशों से पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) जी, हां।

(ख) सी॰ आई॰ एस॰ देशों से वर्ष 1993 के दौरान भारत आए पर्यटकों की संख्या 48644 थी।

(ग) उजबेकिस्तान से आए पर्यटकों के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) सी॰ आई॰ एस॰ देशों में प्रचार और संवर्धन कार्य आरम्भ कर दिया गया है और भारत आने वाले पर्यटकों में वृद्धि करने के लिए इन देशों में उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल गए हैं।

नागर विमानन महानिदेशक द्वारा एयरलाइनों को जारी निर्देश

480. श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हवाई जहाजों की सुरक्षित हैंडलिंग के संदर्भ में नागर विमानन महानिदेशक द्वारा एयर कम्पनियों को कतिपय निर्देश जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विमान यात्रा के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु नागर विमानन महानिदेशक अन्य क्या-क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):(क) जी, हां।

(ख) नागर विमानन महानिदेशालय विमान के सुरक्षित प्रचालन के लिए, समय समय पर नागर विमानन संबंधी अपेक्षाओं, विमान संरक्षा परिपत्रों आदि के रूप में निर्देश जारी करता रहता है। हाल ही में जारी निर्देश नीचे दिए गए हैं:-

(i) एयरलाइन और हवाई टैक्सी प्रचालकों द्वारा पट्टे पर लिए गए विदेशी विमानों का उड़न योग्यता और प्रचालनात्मक नियंत्रण।

(ii) विमान परिवहन सेवा प्रचालकों द्वारा आयात किए जाने वाले विमानों की अधिकतम अनुमत्य आयु और आवृत्तिया/उड़ान घण्टे निर्धारित करना।

(iii) भारत और ट्रिम शीट तैयार करने के लिए कर्मीदल और यात्रियों के मानक भार का प्रयोग करना।

(iv) विमान के उड़ान भरते समय और उतरते समय सही अधिकतम अनुमत्य भार का निर्धारण।

(v) वर्षाकाल और खराब दृश्यता की स्थितियों में बरती जाने वाली सावधानियां।